

म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

कमांक / मंडी / प्रांगण / बैंक.पो.ऑ / 2014-15 / 932 भोपाल, दिनांक 17 / 11 / 14  
प्रति,

संयुक्त संचालक / उप संचालक  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय ..... (समस्त)  
(म०प्र०)

- विषय :- मध्य प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में ए.टी.एम. एवं बैंक शाखा खोलने के संबंध में,  
संदर्भ :- मुख्यालय का पत्र कमांक / मंडी / प्रांगण / बैंक.पो.ऑ. / 2014-15 / 949 दिनांक 27 / 10 / 14

मंडी अधिनियम 1972 में निहित प्रावधान के अनुसार कृषकों को उनकी उपज का भुगतान अनुज्ञापिधारी द्वारा मंडी प्रांगण में ही किया जाना चाहिए। मंडी प्रांगण में किसान अपनी कृषि उपज को विक्रय हेतु लाते हैं। लायसेंसधारी व्यापारियों द्वारा अनाज कूय किया जाता है जिसका करोड़ों रूपयों का भुगतान कृषि उपज मंडी प्रांगण में ही नगद कृषकों को किया जाता है जिसमें व्यवहारिक रूप से जोखिम कृषक एवं व्यापारी दोनों को रहता है। अतएव राशि की नगदी का लेने देन हेतु एवं जिन मंडी प्रांगणों में शाखाएं संचालित न हो उन प्रांगणों में बैंक की शाखाएं खोलने एवं ए.टी.एम की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने हेतु यदि बैंक सहमत हो तो इस हेतु मंडी समिति में म०प्र० कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 अनुसार (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर) स्थान उपलब्ध करवाने बाबत निर्देशित किया गया था।

उपरोक्तानुसार आपके संभाग अंतर्गत मंडी समितियों के प्रांगण में ए.टी.एम एवं बैंक शाखा खोलने संबंधी की गई कार्यवाही/अद्यतन स्थिति की जानकारी तत्काल भेजी जाना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक द्वारा अनुमोदित।

संयुक्त संचालक(प्रांगण)  
म०प्र०राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल